अल्पसंख्यक छात्रों के लिए
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना
(30.11.2017 से संशोधित)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय–सूची

क्र०सं०	मद	पृष्ठ संख्या
1.	उद्देश्य	3
2.	अध्येतावृत्ति का कार्यक्षेत्र	3
3.	कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण	3
4.	पात्रता	3–4
5.	अध्येतावृत्ति का संवितरण	4
6.	अध्येतावृत्ति की अवधि	4–5
7.	अध्येतावृत्ति की दर	5
8.	योजना का कार्यान्वयन	5–7
9.	प्रशासनिक व्यय	7
10.	निगरानी एवं मूल्यांकन	8
11.	योजना के दिशानिर्देशों का संशोधन	8

1. उद्देश्य

इस अध्येतावृत्ति का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम0फिल0 और पीएच0डी की उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप पांच वर्ष तक अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस अध्येतावृत्ति योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल होंगे तथा योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अध्येतावृत्ति योजना के तहत अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम0फिल और पीएच0डी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का स्कॉलर कहा जाएगा।

2. अध्येतावृत्ति का कार्यक्षेत्र

इस योजना के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में नियमित और पूर्ण कालिक एम0फिल और पीएच0डी पाठ्यक्रमों और समकक्ष शोध पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। इससे शोध छात्र एम0फिल और पीएच0डी उपाधि के साथ विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में व्याख्याता पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता अर्जित कर सकेंगे।

3. कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण

इस अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नॉडल अभिकरण होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समाचार–पत्रों, इन्टरनेट, वेबपेज और अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराये जाएंगे।

4. पात्रता

इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः–

(i) उसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय का होना चाहिए।

(ii) उसे यूजीसी विज्ञापन के अनुसार अध्येतावृत्ति के उपबंधों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय/अकादमिक संस्थान में उस विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए नियमित और पूर्णकालिक एम0फिल/पीएच0डी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हुआ और पंजीकरण कराया हुआ होना चाहिए।

(iii) अध्येतावृत्ति के लिए एक बार पात्र मान लिए गए अल्पसंख्यक छात्र *किसी अन्य स्रोत से* अर्थात् केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा यूजीसी जैसे अन्य निकाय से इस अध्ययन के लिए लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(iv) अल्पसंख्यक छात्रों को एम0फिल/पीएच0डी के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की पात्रता हेतु सीबीएसई–एनईटी/सीएसआईआर–एनईटी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

(v) जेआरएफ/एसआरएफ हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्री–एम0फिल और प्री–पीएच0डी चरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक लागू होंगे तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कम–से–कम 55% अंक अर्जित किया होना चाहिए।

5. अध्येतावृत्ति का संवितरण

(i) वर्ष 2017–18 के लिए कुल 756 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी और वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए 1000(राज्य–वार संवितरण की स्थिति अनुलग्नक–1 में दर्शायी गई है)। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने पर किसी वर्ष प्रदान न की गई अध्येतावृत्तियों को आगामी शौक्षिक सत्र के दौरान उपयोग में लाया जाएगा।

(ii) अध्येतावृत्तियों में से 30% अध्येतावृत्तियां महिला छात्रों के लिए निर्धारित होंगी, शेष 70% अध्येतावृत्तियां सामान्य होंगी। यदि महिला अभ्यर्थियों की कमी है तो अध्येतावृत्ति उसी अल्पसंख्यक समुदाय के पुरूष छात्र को प्रदान की जाएगी।

(iii) यदि अभ्यर्थियों की संख्या अध्येतावृत्तियों की संख्या से अधिक होती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा एनईटी परीक्षा में अर्जित अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा। तथापि, एनईटी परीक्षा में टाई मामलों में कम आय वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) अन्यथा पात्र छात्रों के लिए आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार और उनके समानान्तर (हॉरिजोन्टल) होगा।

(v) इस योजना के अंतर्गत ज्ञान के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत छात्रों का चयन किया जाएगा।

(vi) राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का समुदाय–वार चयन उनके यथा आनुपातिक आबादी के आधार किया जाएगा।

(vii) शोध छात्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार चयन यथासंभव सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी समुदाय की अप्रयुक्त अध्येतावृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर इसी समुदाय के पात्र छात्रों को अंतरित की जाएगी। तत्पश्चात, अप्रयुक्त अध्येतावृत्ति; यदि कोई है; राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से योग्यता आधार पर अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र छात्रों को अंतरित कर दी जाएगी।

6. अध्येतावृत्ति की अवधि

यह एम0फिल और पीएच0डी पाठ्यक्रमों के लिए 5 वर्षीय समेकित अध्येतावृत्ति होगी जिसके लिए पीएच0डी कार्यक्रम हेतु चयन के लिए लागू शैक्षिक मानदंड पूरा करने होंगे।

अध्येतावृत्ति की अवधि इस प्रकार होगी :

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम0फिल	2 वर्ष	2 वर्ष	शून्य
पीएचडी	5 वर्ष	**2 वर्ष**	**शेष 3 वर्ष**
एम0फिल + पीएच0डी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

7. अध्येतावृत्ति की दर

जेआरएफ और एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति की दर समय–समय पर संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुसार होगी। वर्तमान में यह दर निम्नवत्त है :

अध्येतावृत्ति	शुरूआती 2 वर्ष के लिए 25,000 रू0 प्रतिमाह (जेआरएफ) शेष अवधि के लिए 28,000 रू0 प्रतिमाह (01.12. 2014 से संशोधित)
कला और वाणिज्य के लिए आकस्मिक	शुरूआती 2 वर्ष के लिए 10,000 रू0 प्रतिवर्ष शेष 3 वर्ष के लिए 20,500 रू0 प्रतिवर्ष
विज्ञान और अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के लिए आकस्मिक	शुरूआती 2 वर्ष के लिए 12,000 रू0 प्रतिवर्ष शेष 3 वर्ष के लिए 25,000 रू0 प्रतिवर्ष
विभागीय सहायता	संबद्ध संस्थान को अवसंरचना के प्रावधान के लिए 3,000 रू0 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से
एस्कोर्ट्स/रीडर असिस्टेंस	शारीरिक और दृष्टि विकारग्रस्त अभ्यर्थियों के मामलों में 2,000 रू0 प्रतिमाह

** इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ता और अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान यूजीसी की तर्ज पर किया जाएगा।*

8. योजना का कार्यान्वयनः

(i) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नॉडल अभिकरण होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय–समय पर परिभाषित किया जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्येतावृत्ति से संबंधित विवरण का प्रकाशन प्रेस और अन्य मीडिया के माध्यम से कराया जाएगा।

(iii) योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का चयन सीबीएससीई और सीएसआईआर द्वारा आयोजित यूजीसी के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तथापि, एनईटी परीक्षा में टाई के मामलों में कम आय के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन पारदर्शी ढंग से किया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थियों की संख्या अध्येतावृत्तियों की संख्या से अधिक होती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में अर्जित अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा।

(vi) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य अध्येतावृत्ति का संवितरण संबद्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणना के अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में किया जाएगा। तथापि, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम–से–कम 4 अध्येतावृत्तियां अधिक अध्येतावृत्ति वाले राज्यों के लक्ष्यों को उचित ढंग से कम कर प्रदान की जाएंगी। इन चार अध्येतावृत्तियों के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समुदाय–वार संवितरण नहीं किया जाएगा। सभी आवेदनों को एकत्र कर उन पर मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(vii) यदि पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित अध्येतावृत्ति की संख्या को पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बचे हुए अध्येतावृत्तियों को उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनः आवंटित कर सकेगा, जिन राज्य/संध राज्य क्षेत्रों में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या उन्हें आवंटित अध्येतावृत्तियों की संख्या से अधिक होगी। इस संदर्भ में निर्णय एक समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति कार्य के प्रभारी संयुक्त सचिव शामिल होंगे।

(viii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति की राशि का संवितरण यथासंभव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत आधार पेयमेंट बिड्ज सिस्टम (एपीबीएस)। के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में, इस योजना के संबंध में 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अंतर्गतदिनांक 14 जून, 2017 की एक राजपत्रित अधिसूचना एसओ 2411 (ई) का संदर्भ लें।

(ix) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विवरणिका भी जारी की जाएगी जिसमें भावी अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अध्येतावृत्ति संबंधी सभी ब्यौरों का उल्लेख होगा। आयोग द्वारा इन ब्यौरों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संदर्भ के साथ अपने वेबपेज पर भी अपलोड किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथासंभव ई–ऐपलीकेशन प्रक्रिया को तत्परता से बढ़ावा दिया जाएगा।

(x) छात्रों द्वारा जाली प्रमाण–पत्रों के आधार पर अध्येतावृत्ति प्राप्त करने की संभावना से बचे रहने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपना ऐसा तंत्र प्रयोग में लाया जाएगा जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अल्पसंख्यक समुदाय से होने के आशय के प्रमाण–पत्र की शुद्धता की जांच की जा सके।

(xi) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा तथा लागू एवं

विद्यमान कानून को छोड़ कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(xii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता–पिता/संरक्षक की आय सीमा 6.0 लाख रु0 प्रतिवर्ष होगी। प्रत्येक छात्र द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(xiii) निर्धारित वार्षिक आय सीमा के तहत अभ्यर्थियों का चयन परस्पर मेरिट के आधार पर किया जाएगा जैसा मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति के तहत किया जाता है।

(xiv) यदि किसी अभ्यर्थी को धोखाधड़ी के आधार पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्राप्त करते हुए पाया जाता है तो उसकी पात्रता स्वतः निरस्त मानी जाएगी और प्रदत्त अध्येतावृत्ति की राशि भारतीय स्टेट बैंक में शैक्षिक ऋण के लिए प्रचलित ब्याज दर के साथ वसूली जाएगी।

(xv) यदि शोधकर्ता को तदर्थ अध्यापक, अध्यापन सहायक या रिसर्च सहायक के रूप से नियुक्त पाया गया तो उनकी अध्येतावृत्ति को बन्द किया जाएगा। यू.जी.सी. द्वारा इस तरह का एक वचन पत्र छात्रों से प्राप्त किया जाएगा।

(xvi) अध्येतावृति का वितरण यू.जी.सी द्वारा निर्धारित उपलब्धि से जोड़ा जाना चाहिए।

(xvii) शोधकर्ताओं की उपस्थिति द्वारा प्रगति रिपोर्ट यू.जी.सी के पास रखी जानी चाहिए और मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(xviii) यदि शोधकर्ता अध्येतावृत्ति के दौरान ठेके पर नियुक्त किया जाता है तो ठेके पर नियुक्ति की अवधि के दौरान अध्येतावृत्ति को बन्द किया जाएगा।

(xix) जोखिम विश्लेषणः योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति की कुल संख्या 1000/– रखने का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक अध्येतावृत्ति की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के मामले में वर्ष के दौरान उपयोग न की जा सकने वाली अध्येतावृत्ति अगले शैक्षणिक सत्र में डाली जाएगी।

9. प्रशासनिक व्ययः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान यूजीसी द्वारा लाभ प्राप्तकर्ताओंको अंतरित निधि के 2% की दर से किया जाएगा।

मंत्रालय को यूजीसी को भुगतान करने के लिए प्रशासनिक व्यय को पूरा करने, ठेके पर स्टाफ लेने और कार्यशाला और सम्मेलनों के आयोजनों के लिए इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आबंटन के 3% तक को अलग रखने की अनुमति दी जाएगी। कार्यशाला और सम्मेलनों में सफल उद्यमियों/लाभार्थियों को दिखाकर योजना को प्रस्तुत करने और इसकी प्रगति के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह भी शामिल होंगे। इसकी लागत में टी.ए./डी.ए और विविध खर्च सहित इस समारोह के आयोजन से संबंधित सभी खर्च शामिल होंगे।

10. निगरानी और मूल्यांकन

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यों का आकलन जेआरएफ के लिए दो वर्ष की अवधि और एसआरएफ के लिए दो वर्ष की अवधि के पूरा होने पर किया जाएगा। छात्रों द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों पर यूजीसी नियमों के तहत निगरानी रखी जाएगी।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही तौर पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की संख्या, विश्वविद्यालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी ब्यौरों की सूची का उल्लेख होगा और जो मंत्रालय के सूचनार्थ होगा। आयोग इन ब्यौरों को अपने वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।

(iii) जो अभ्यर्थी दो वर्ष के समय में एम0फिल पाठ्यक्रम का अध्ययन पूरा नहीं कर सकेंगे अथवा तीसरे वर्ष के दौरान पीएच0डी पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए अपात्र पाए जाएंगे उन्हें आगे से छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जाएगी।

(iv) आय प्रमाण–पत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यथाअधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पदनामित प्राधिकारियों द्वारा जारी अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी प्रमाण–पत्र कानून वैध शपथपत्र के रूप में होगा, ताकि कोई भी अभ्यर्थी अपने को दूसरे समुदाय का बता कर अध्येतावृत्ति का लाभ न प्राप्त कर सके।

(vi) मध्यांतर मूल्यांकनः 14वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात् 2019–20 समाप्त होने के उपरान्त या जैसाकि मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाए योजना के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

11. योजना के दिशानिर्देशों का संशोधन

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्ति के सुचारू कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन के समय जानकारी में आयी प्रगति के फलस्वरूप आवश्यक प्रतीत होने पर योजना में थोडा बहुत संशोधन किया जा सकेगा, जिस पर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा।

****

अनुलग्नक-I

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना का राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र–वार और समुदाय–वार का वितरण								
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्लाटों का आबंटन–भारत सरकार के अनुसार						
		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	35	5	X	X	X	X	40
2	अरूणाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	4
3	असम	45	5	X	X	X	X	50
4	बिहार	72	1	X	X	X	X	73
5	छत्तीसगढ़	2	2	X	X	X	X	4
6	गोवा	X	X	X	X	X	X	4
7	गुजरात	23	1	X	X	2	X	26
8	हरियाणा	8	X	5	X	X	X	13
9	हिमाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	4
10	जम्मू व कश्मीर	37	X	1	X	X	X	38
11	झारखंड	20	5	X	X	X	X	25
12	कर्नाटक	32	5	X	X	2	X	39
13	केरल	36	25	X	X	X	X	61
14	मध्य प्रदेश	19	1	1	1	5	x	27
15	महाराष्ट्र	53	5	1	28	6	X	93
16	मणिपुर	1	5	X	X	X	X	6
17	मेघालय	1	9	X	X	X	X	10
18	मिजोरम	X	X	X	X	X	X	4
19	नागालैंड	X	6	X	X	X	X	6
20	ओड़िशा	4	5	X	X	X	X	9
21	पंजाब	2	1	67	X	X	X	70
22	राजस्थान	27	X	4	X	3	X	34
23	सिक्किम	X	X	X	X	X	X	4
24	तमिलनाडु	18	19	X	X	X	X	37
25	त्रिपुरा	X	X	X	X	X	X	4
26	उत्तर प्रदेश	158	2	3	1	1	X	165
27	उत्तराखंड	6	X	1	X	X	X	7
28	पश्चिम बंगाल	102	3	X	1	x	x	106
29	अंडमान एवं निकोबार	X	X	X	X	x	X	4
30	चंडीगढ़	X	X	X	X	X	X	4
31	दादर एवं नगर हवेली	X	X	X	X	x	X	4
32	दमन व द्वीव	X	X	X	X	X	X	4
33	दिल्ली	9	1	2	X	1	X	13
34	लक्षद्वीप	X	X	X	X	X	X	4
35	पुडूचेरी	X	X	X	X	X	X	4
36	तेलंगाना							
कुल योग		734	119	89	36	20	2	1000

X= चार अध्येतावृत्तियों के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों समुदाय–वार संवितरण नहीं किया जाएगा। सभी आवेदनों को एकत्र कर उन पर निर्णय लिया जाएगा।

50% स्लाट आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य को अंतरित किए गए।